राज्य के बाहर उपचार कराने की अनुमति का अधिकार संचालक चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 को देने बाबत्

म0प्र0 वेतन आयोग, 1981 (चौधरी वेतन आयोग) के प्रतिवेदन में अनुशंसा है कि ऐसे मामलों में जिसमें चिकित्सा परिचारक की यह राय हो कि मामले में विशेषीकृत उपचार की आवश्यकता है, जो उस चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है जिससे वह सम्बंधित है, तो उसे यह मामला सिविल सर्जन को निर्दिष्ट करना चाहिये। सिविल सर्जन इससे संतुष्ट होने पर मामला क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय को निर्दिष्ट करेगा। यदि चिकित्सा महाविद्यालयों में उस विशिष्ट उपचार का प्रभारी आचार्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रोगी को जिस स्तर के उपचार की आवश्यकता है वह उसके चिकित्सा महाविद्यालय में या राज्य के किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो उसे यह मामला चिकित्सा शिक्षा संचालक को निर्दिष्ट करना चाहिये। संचालक चिकित्सा शिक्षा को राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी रहती ही है। यदि उसका समाधान हो जाये कि रोगी को राज्य के बाहर के चिकित्सालय में भेजना आवश्यक है तो उसे राज्य के बाहर स्थित किसी चिकित्सालय में उपलब्ध कराने की अनुमति देने का अधिकार होना चाहिये।

राज्य शासन ने चौधरी वेतन आयोग की उपर्युक्त अनुशंसा पर विचार कर निर्णय लिया है कि किसी शासकीय सेवक अथवा उसका आश्रित किसी व्यक्ति के रोग के उपचार अथवा जांच की व्यवस्था राज्य के चिकित्सालयों में नहीं होने पर उपर्युक्त अनुशंसा में निहित प्रणाली का सामान्यतः अनुसरण करने के उपरान्त यदि संचालक चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 उक्त रोग का उपचार अथवा जांच राज्य के बाहर परन्तु देश में कराये जाने की आवश्यकता समझते हैं तो ऐसे उपचार या जांच के लिये अनुमति प्रदान करने का अधिकारी प्रदत्त किया जाता है। संचालक चिकित्सा शिक्षा ऐसे प्रकरणों में आवश्यकता अनुसार परिचारक को भी साथ में ले जाने की स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।

इस प्रकार दी गई स्वीकृति के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी :–

(क) रोगी एवं जहां आवश्यक हो परिचारक को उस श्रेणी का रेल/बस किराया जिसकी शासकीय सेवक को नियमानुसार पात्रता हो अथवा उस निचली श्रेणी का वास्तविक रेल/बस किराया जिसमें यात्रा की गई हो।

(ख) चिकित्सकीय उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति उस सीमा तक होगी जिस सीमा तक राज्य के शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने पर म0प्र0 सिविल सर्विसेस (मेडिकल अटेण्डेंट) रूल्स, 1958 के प्रावधानों के अधीन देय है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 1956/R-II/F–4–83 दिनांक 26.10.1983 द्वारा महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्रमांक 2526/4916/17/मेडि–4 दिनांक 30.09.1985)

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-4-23/2013/1/पचपन भोपाल, दिनांक 29/05/2013

प्रति

1- शासन के समस्त विभाग।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

3- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।

4- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।

5- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषय :- राज्य शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के राज्य के बाहर स्थित चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने की अनुमति/ कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

=00=

वर्तमान में राज्य के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर गठित रेफरल कमेटी की अनुशंसा के उपरांत संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा उपचार कराने की स्वीकृति जारी की जाती है तथा संबंधित चिकित्सालय का स्टीमेट प्राप्त होने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बिमारियों के लिये निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा/ प्रस्तुत स्टीमेट में जो कम हो का 80 प्रतिशत अग्रिम स्वीकृति की अनुशंसा संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जाती है। उक्त कार्य हेतु अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय को अधिकृत किया जाता है। अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय ऐसे प्रकरणों का परीक्षण उनकी अध्यक्षता में पूर्व से गठित समिति के समक्ष करेंगे तथा रेफरल पत्र जारी करेंगे, जिसकी प्रति संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित विभाग तथा संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी को देंगे। साथ ही आवेदक द्वारा संबंधित चिकित्सालय का स्टीमेट प्रस्तुत करने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बिमारियों के लिये निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा/ प्रस्तुत स्टीमेट में जो कम हो का 80 प्रतिशत अग्रिम स्वीकृति की अनुशंसा अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय जारी करेगा।

2/- कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रकरण को आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने पर उसके संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी/प्रशासकीय विभाग/ विभागाध्यक्ष के माध्यम से संचालक, चिकित्सा

निरंतर...2/-

विभाग को प्राप्त होने के पश्चात प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निराकृत किये जाते हैं। ऐसे सभी कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु संभाग स्तर पर निम्नानुसार कार्योत्तर समिति का गठन किया जाता है :-

1.	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय	सदस्य सचिव
3.	अधिष्ठाता द्वारा नामांकित विभागाध्यक्ष	सदस्य
4.	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	सदस्य
5.	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त	सदस्य
6.	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य

उक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :-

1. चंबल संभाग एवं ग्वालियर संभाग के प्रकरणों को ग्वालियर संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, उज्जैन संभाग एवं इन्दौर संभाग के प्रकरणों को इन्दौर संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, नर्मदापुरम संभाग एवं भोपाल संभाग के प्रकरणों को भोपाल संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, शहडोल संभाग एवं रीवा संभाग के प्रकरणों को रीवा संभाग में गठित कार्योत्तर समिति द्वारा निराकरण किया जावेगा।

2. उक्त कार्योत्तर समिति में प्रकरण अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत रखे जावेंगे तथा कार्योत्तर समिति में लिये गये निर्णयानुसार इस विभाग द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा तक के राशि की अनुशंसा आदेश अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी किये जावेंगे।

3. शासन द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक शेष राशि के प्रकरणों को संबंध में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अनुशंसा के साथ अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रस्ताव संचालक, चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे।

4. राज्य स्तरीय कार्योत्तर समिति में उन प्रकरणों पर विचार किया जावेगा, जिसमें संभाग स्तरीय समिति को किसी प्रकार की कठिनाई हो या कोई मार्गदर्शन अपेक्षित चाहा गया हो। यह सभी प्रकरण संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष परीक्षण प्रस्तुत किये जावेंगे।

निरंतर....3/-

//3//

5. संभाग स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक माह की एक से दस तारीख के बीच अनिवार्यतः आयोजित की जावेगी तथा इस बैठक में अवदान संबंधी प्रकरणों पर विचार किया जावेगा। उक्त समिति की बैठक आवश्यकतानुसार एक माह में एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकेगी।

6. शासकीय कर्मचारियों के द्वारा, राज्य के बाहर निजी संस्थाओं में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति की स्थिति का त्रैमासिक विवरण प्रतिमाह संभाग स्तरीय कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव अर्थात अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा को भेजेंगे एवं अभिलेख/पंजी संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा एवं अधिष्ठाता के कार्यालय में संधारित किए जायेंगे।

7. उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय तिर्की)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ-9-23/2013/2/पचपन

भोपाल, दिनांक 26/03/2013

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
4. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर।
6. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, भोपाल/सागर/ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, म.प्र.।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर/उज्जैन एवं रीवा, म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

म०प्र० शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 14.08.2005

क्रमांक 18–58/2000/1/पचपन

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष म०प्र०
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म०प्र०
5. समस्त जिलाध्यक्ष, म०प्र०

विषयः– राज्य शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य के बाहर केन्द्र शासन के शासकीय/अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति।

राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के राज्य के बाहर केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के चिकित्सालयों में उपचार कराने पर निम्नलिखित बीमारियों के लिये उनके सन्मुख दर्शाई गई सीमा तक या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. एंजियोग्राफी	रूपये 15,000/–
2. हृदयरोग (सर्जरी)	रूपये 2,50,000/–
3. किडनी प्रत्यारोपण	रूपये 4,00,000/–
4. न्यूरोसर्जरी/न्यूरोलाजी	रूपये 3,00,000/–
5. कैंसर रोग	रूपये 4,00,000/–
6. कांकलीयर इम्पलान्ट	रूपये 6,20,000/–
7. लीवर ट्रांसप्लाट/हिप रिप्लेसमेंट (हड्डीरोग)	रूपये 4,00,000/–

उपचार में उक्त निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा स्वंय वहन की जावेगी। उपचार हेतु संचालक, चिकित्सा शिक्षा म०प्र० की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह सीमायें आदेश जारी होने के दिनांक के उपरान्त हुये इलाज हेतु लागू होगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 587/04/वि/चार दिनांक 08.05.2004 के अनुसार जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता०
(ए.के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्यप्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के द्वारा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के राज्य के बाहर केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 18-58/2000/1/पचपन भोपाल, दिनांक 14.06.2003 द्वारा निजी चिकित्सालयों में किडनी प्रत्यारोपण के उपचार हेतु अधिकतम चिकित्सा प्रतिपूर्ति सीमा राशि रूपये 2,40,000/- निर्धारित की गई है। उपचार में उक्त निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा स्वयं वहन की जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 687/04/नि/चार दिनांक 08.03.2004 के अनुसार जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता0
(ए.के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ–4–23/2013/2/पचपन, भोपाल, दिनांक / /02/2014

प्रति,

1– शासन के समस्त विभाग।

2– समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

3– अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।

4– समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।

5– समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषय :– राज्य शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के राज्य के बाहर निजी चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने की अनुमति/ कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 28.05.2013.

=00=

राज्य शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के राज्य के बाहर निजी चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने की अनुमति/ कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 28.05.2013 से किया गया है।

2/– चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–18–53/2000/1/पचपन, दिनांक 14.08.2015 से शासकीय कर्मचारियों/ अधिकारियों के राज्य के बाहर केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार तथा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु निम्नलिखित बीमारियों के लिये उनके सम्मुख दर्शाई गई सीमा तक या वास्तविक व्यय जो भी कम हो की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई है :–

केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के चिकित्सालय

1.	एंजीयाफी	रूपये 15,000=00 (पन्द्रह हजार मात्र)
2.	हृदय रोग (सर्जरी)	रूपये 2,50,000=00 (दो लाख पचास हजार मात्र)
3.	किडनी प्रत्यारोपण	रूपये 4,00,000=00 (चार लाख मात्र)
4.	न्यूरो सर्जरी/ न्यूरोलॉजी	रूपये 3,00,000=00 (तीन लाख मात्र)
5.	कैंसर रोग	रूपये 4,00,000=00 (चार लाख मात्र)
6.	कॉकलीयर इम्प्लांट	रूपये 5,20,000=00 (पाँच लाख बीस हजार मात्र)
7.	लीवर ट्रांसप्लांट/ हिप रिप्लेसमेंट (हड्डी रोग)	रूपये 4,00,000=00 (चार लाख मात्र)

<2>

मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय

1.	किडनी प्रत्यारोपण	रूपये 2,40,000=00 (दो लाख चालीस हजार मात्र)

राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा अब राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों में भी लागू करता है। अतः संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कार्योत्तर समिति उक्त निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा तक या वास्तविक व्यय जो भी कम हो की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति जारी कर सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ—4— 23/2013/2/पचपन

भोपाल, दिनांक 11 /02/2014

प्रतिलिपि :—

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
4. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर।
6. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, भोपाल/सागर/ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, म.प्र.।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर/उज्जैन एवं रीवा, म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

राज्य के बाहर उपचार हेतु मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी चिकित्सालयों की सूची

क्र.	चिकित्सालय का नाम	शहर का नाम	बीमारी का नाम	मान्यता अवधि
1.	ए.आई.आई.एम.एस. (ऐम्स)	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
2.	जी.बी.पन्त चिकित्सालय	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
3.	एल.एन.टी.पी. चिकित्सालय	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
4.	के.ई.एम. हास्पीटल	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
5.	जसलोक चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
6.	बी.वाय.एल. नायर चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
7.	टाटा मेमोरियल चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
8.	नानावटी चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
9.	पुण्डालिया कार्डियोथेरोसिक फाउण्डेशन	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
10.	अपोलो हास्पीटल	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
11.	शंकर नेत्रालय	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
12.	निजाम इंस्टीटयूट	हैदराबाद	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
13.	यशोदा हास्पीटल	हैदराबाद	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
14.	बी.एच.यू. (बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी)	वाराणसी	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
15.	सी.एम.सी. (क्रिश्चयन मेडिकल कालेज)	वेल्लोर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
16.	एस.जी.पी.जी.आई.	लखनऊ	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
17.	साउथन रेल्वे चिकित्सालय	बरमपुर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार

18.	पी.जी.आई.	चण्डीगढ़	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
19.	श्रीचित्रा इंस्टीटयूट	त्रिवेन्द्रम	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
20.	निम्हांस हास्पीटल	बैंगलोर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
21.	अपोलो हास्पीटल	हैदराबाद	हृदयरोग, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बीएमवी एवं कार्डियोथेरोसिक सर्जरी, सीएबीजी, वाल्व रिप्लेसमेंट, कांगनीटल कार्डियक सर्जरी एण्ड वास्कुलर सर्जरीज	07.09.2017
22.	मेदान्ता द मेडिसिटी	गुड़गांव हरियाणा	हृदयरोग, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियक इन्टरवेंशन एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी एण्ड मल्टीडिसी– प्लीनरी क्रिटिकल केयर	07.06.2017
23.	अरनेजा हार्ट इंस्टीटयुट	नागपुर	हृदयरोग, कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियोलाजी इन्टरवेंशन बीएमवी/पीपीआई) एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी एज वेल एज एसोसिएट क्रिटिकल केयर	27.11.2017
24.	सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ हेमोटोलाजी एण्ड अंकोलाजी	नागपुर	हेमोटोलाजी एण्ड अंकोलाजी एवं समस्त कैंसर रोग की जांच एवं उपचार	19.01.2018
25.	बैंकर्स हार्ट इंस्टीटयूट	बड़ौदा गुजरात	हृदयरोग, कार्डियोथेरोसिक सर्जरी एण्ड मल्टी– डिसीप्लीनरी, क्रिटिकल केयर के उपचार हेतु	30.12.2016
26.	कोलम्बिया कैंसर हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर	नागपुर	कैंसर के उपचार एवं सम्बंधित क्रिटिकल केयर मैंनेजमेंट के उपचार हेतु	18.12.2016
27.	केयर हास्पीटल	नागपुर	कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विसेस लाईक आईसीसीयू इनपेशन्ट केयर, इनवेस्टीगेशन लाईक टीएमटी, कलर डाप्लर, होल्टर मानीटरिंग एण्ड कैथलेब के उपचार हेतु	08.09.2017
28	वेलकेयर हास्पीटल सेंटर फार नी एण्ड हिप सर्जरी	बड़ौदा गुजरात	टोटल नी एण्ड हिप रिप्लेसमेंट तथा आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर	07.06.2017

29	क्रीसेंट हास्पीटल एण्ड हार्ट सेंटर	नागपुर	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी) एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई इत्यादि एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विस एज वेल एज एसोसिएट क्रिटिकल केयर एवं मल्टी डिसीप्लीनरी ट्रीटमेंट	18.08.2017
30	कोलम्बिया हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर	नागपुर	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी) एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई इत्यादि एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विस एज वेल एज एसोसिएट क्रिटिकल केयर एवं मल्टी डिसीप्लीनरी ट्रीटमेंट	31.03.2017
31	डॉ0 उल्हास पाटिल मेडिकल कालेज हास्पीटल	जलगांव महाराष्ट्र	कार्डियोलाजी सर्विसेस एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी एवं गायनोकालाजी	31.03.2016
32	श्योरटेक हास्पीटल एण्ड रिसर्च सेंटर	नागपुर	हृदयरोग (एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी) एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई उपचार एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी मल्टी डिसीप्लीनरी क्रिटिकल केयर	25.02.2017
33	स्पन्दन हार्ट इंस्टीटयूट एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा.लि.	नागपुर	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी) एवं अन्य कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन जैसे बीएमवी, पीपीआई, कार्डियोथेरोसिक सर्जरी तथा कार्डियोलाजी से सम्बंधित क्रिटिकल केयर उपचार	03.02.2017
34	कुणाल हास्पीटल	नागपुर	न्यूरोसर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं मल्टीडिसीप्लीनरी क्रिटिकल केयर	31.03.2017
35	चौधरी हास्पीटल फ्रेक्चर एक्सीडेंट आर्थोपेडिक नर्सिंग होम	नागपुर	आर्थोपेडिक, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, फ्रेक्चर एक्सीडेंट एण्ड स्पाईन सर्जरी एण्ड एसोसिएटेड इमरजेंसी	31.03.2018
36	श्रीकृष्णा हृदयालय एण्ड क्रिटिकल केयर सेंटर	नागपुर	कार्डियोलाजी (एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बी.एम.वी. एवं पी.पी.आई.) एवं कार्डियोथेरोसिक सर्जरी	31.03.2017

37	व्होकार्ड हास्पीटल	नागपुर	हृदयरोग, हृदयसर्जरी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलाजी एवं मल्टीडिसीप्लीनरी क्रिटिकल केयर	31.03.2017
38	पल्स क्लीनिक एण्ड हास्पीटल	नागपुर	इंटरवेंशनल रेडियोलाजिकल प्रोसीजर्स से सम्बंधित उपचार	31.03.2017
39	स्टर्लिंग हास्पीटल	बड़ौदरा गुजरात	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी / एंजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इंटरवेंशन लाईक बी.एम.वी.ए पी.पी.आई. इत्यादि) एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विसेस, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, अंकोलाजी एवं जी.आई सर्जरी से सम्बंधित उपचार	29.12.2016
40	आर्चिड मल्टीस्पेशलिटी हास्पीटल	जलगांव महाराष्ट्र	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी एण्ड एंजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई इत्यादि) एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विसेस एज वेल ऐज फार ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एण्ड आर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलाजी, रेडियोलाजी क्रिटिकल केयर से सम्बंधित उपचार	31.03.2018
41	प्लेटिना हार्ट हास्पीटल	नागपुर	कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी से सम्बंधित उपचार हेतु	31.03.2019
42	ऑरेंजसिटी हास्पीटल एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट	नागपुर	कार्डियोलाजी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बी.एम.वी. एण्ड पीपीआई एण्ड कार्डियोथेरोसिक, काम्पलेक्स आर्थोपेडिक ट्रामा सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एवं स्पाईन सर्जरी, ई.एन.टी. सर्जीकल प्रोसीजर्स इण्डोस्कोपिक ई.एन.टी. सर्जरी, कांक्लीयर इम्पलांट, नजल **(nasal)** सर्जरी इंक्लूडिंग एफ.ई.एस.एस. एण्ड हेड एण्ड नेक **(neck)** सर्जरी, न्यूरोलाजिकल प्रोसीजर्स, एपीलेप्सी सर्जरी वरीयस न्यूरोलाजिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एण्ड ट्रीटमेंट हेतु	31.03.2018
43	गाजरे हास्पीटल न्यूरो सेंटर एण्ड वूमन्स क्लीनिक	जलगांव	न्यूरोलाजी बीमारी से सम्बंधित उपचार	31.03.2018

44	परिसोहा फाउण्डेशन प्रा.लि.	मुम्बई	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी / एंजियोप्लास्टी) एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इंटरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई इत्यादि एण्ड कार्डियोथेरासिक सर्जरी सर्विसेस बीमारियों से सम्बंधित	31.03.2017
45	जे.पी. हास्पीटल	नोएडा	कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियक सर्जरी एण्ड ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आईपीडी सर्विसेस फार रिस्क एण्ड काम्पलीकेटेड केसेस बीमारियों से सम्बंधित	31.03.2017
46	ऐस्कार्ट हार्ट इंस्टीटयूट एण्ड रिसर्च सेंटर	नईदिल्ली	कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियोथेरोसिक वास्कुलर सर्जरी के उपचार हेतु	31.03.2017
47	अपोलो हास्पीटल इन्टरनेशनल लिमिटेड	अहमदाबाद गुजरात	कार्डियोलाजी, न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, अंकोलाजी, पैथालाजी, मेडिकल गेस्ट्रोइन्ट्रोलाजी, आर्थोपेडिक्स, बोनमैरो ट्रांसप्लान्ट, रीनल ट्रांसप्लान्ट एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के उपचार हेतु	02.01.2019
48	कृष्णा इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस	सिकन्दराबाद	हृदयरोग, हृदयरोग की सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, नीयोनेटल सर्जरी, प्लास्टिक एण्ड एस्थेटिक सर्जरी, ट्रांसप्लान्ट सर्जरी	28.07.2017 **एन.ए.बी.एच. प्रमाण पत्र अनुसार**

राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय की अपडेट सूची (2016)

कं	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	मान्यता की अवधि
1.	चिरायु मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, भैसाखेड़ी, बैरागढ़ भोपाल	किडनी ट्रांसप्लान्ट एवं होमोडायलेसिस हेतु	31/03/2016 तक मान्यता।
	(1.2) चिरायु मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, भैसाखेड़ी, बैरागढ़ भोपाल	हृदय रोग हेतु	31/03/2016 तक मान्यता।
	(1.3) चिरायु मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भैसाखेड़ी बैरागढ़ भोपाल (कैंसर रोग, हिप/नी,	(कैसर रोग (47) हिप/नी, ऐल्बो,सोल्डर आंशिक रिप्लेसमेंट, मेमोग्राफी, एम.आर.आई., सिटी स्केन, हेतु	31/03/2016 तक मान्यता।
2	जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर ईदगाह भोपाल	(कैंसर रोग–47 प्रकार)	31/03/2016 तक मान्यता।
3.	भोपाल फ्रेक्चर हास्पिटल, अरेरा कालोनी, भोपाल	(आर्थोपेडिक, हेड इन्जयूरी)	31/03/2016 तक मान्यता।
4	एल.बी.एस. अस्पताल मोतिया तालाब, भोपाल	हेड इन्जयूरी	31/03/2016 तक मान्यता।
	(4.2) एल.बी.एस. अस्पताल मोतिया तालाब भोपाल	हृदय रोग, ईसीजी, कलर डापलर, टीमटी हेतु	31/03/2016 तक मान्यता।
5.	नोबल मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल मिसरोद भोपाल	हृदय रोग, टीएमटी हेतु	31/03/2016 तक मान्यता।
	हास्पिटल भोपाल	सर्जरी, न्यूरो सर्जरी)	
6.	बंसल हास्पिटल शाहपुरा भोपाल	(1)कैंसर रोग–47, (2)स्पाईन सर्जरी, न्यूरों सर्जरी, हेड इंजरी, (3) टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, (4) सिटी स्केन एम.आर. आई. मेमोग्राफी, (5) होमोडायलेसिस, (6) हृदय रोग हेतु	31/03/2016 तक मान्यता।
7.	रेडकास हास्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, शिवाजी नगर, भोपाल	(जांच/उपचार 376 प्रोसीजर्स हेतु)	31/03/2016 तक मान्यता।
8.	सिद्वांता रेडकास सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल भोपाल	हृदय रोग	31/03/2016 तक मान्यता।

क्रं	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	मान्यता की अवधि
9.	स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाइन सेंटर मैदा मिला, भोपाल	जांच/उपचार 186 प्रोसीजर्स हेतु	31/03/2016 तक मान्यता।
10.	सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय बैरागढ़ सिविल अस्पताल के पीछे बैरागढ़ भोपाल	(नेत्र रोग– बीटा स्केन सोनोग्राफी, फेको एमुलसिफिकेशन ओरोलेन्स शल्य किया, फेको एमुलसिफिकेशन विथ बायोफोकल आई.ओ.एल)	31/03/2016 तक मान्यता।
11.	नवोदय हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, एम.पी. नगर भोपाल	(सिंगल ड्रग इन्फयूशन, केमोथेरेपी, सिंगल ड्रग इन्फयुशन केमोथेरेपी, कार्मवीनेशन, केंसर रोग–47	31/03/2016 तक मान्यता।
12	मेयो हास्पिटल भोपाल, सुल्तानिया रोड़ भोपाल	डायलेसिस	31/03/2016 तक मान्यता।
13.	नर्मदा ट्रामा सेंटर, अरेरा कालोनी, भोपाल	(स्पाईन सर्जरी, हेड इन्जरी, ब्रेन टयूमर, सिटी स्केन, होमोडायलेसिस)	31/03/2016 तक मान्यता।
	(13.1) नर्मदा ट्रामा सेंटर अरेरा कालोनी, भोपाल	(हिप/नी रिप्लेसमेंट)	31/03/2016 तक मान्यता।
14.	सीमांस कोहेफिजा हास्पिटल बीडीए कालोनी, कोहेफिजा भोपाल	(हिप/नी रिप्लेसमेंट)	31/03/2016 तक मान्यता।
15.	जे.के. हास्पिटल एण्ड मेडिकल कालेज, चूनाभट्टी भोपाल	(हृदय रोग)	31/03/2016 तक मान्यता।
	(15.2) [illegible] मेडिकल कालेज भोपाल'	[illegible] डायलेसिस, मेमोग्राफी, टीएमटी, सिंगल ड्रग इन्फयूशन कैमोथेरेपी, सिंगल ड्रग इन्फयूशन कैमौथेरेपी, काम्बीशन कैमौथेरेपी	[illegible] 2016 [illegible]
16.	भोपाल केयर हास्पिटल भोपाल	(हिप/नी रिप्लेसमेंट, स्पाईन सर्जरी, हेड इन्जयूरी)	31/03/2016 तक मान्यता।
17.	हजेला हास्पिटल, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	(हिप/नी रिप्लेसमेंट)	31/03/2016 तक मान्यता।
	(17.2) हजेला हास्पिटल, कोटरा सुल्तानाबाद, भोपाल	कोकलियर इम्प्लान्ट	31/03/2016 तक मान्यता।

क्रं	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	मान्यता की अवधि
18.	चिरायु हेल्थ मेडिकेयर प्रायवेट लिमिटेड, पीरगेट भोपाल	(हृदय रोग, टीएमटी, कलर डापलर हेतु)	31/03/2016 तक मान्यता।
19	दिव्य एडवांस ई.एन.टी. क्लीनिक ई–7 अरेरा कालोनी, भोपाल	(कोकलियर इम्पप्लान्ट हेतु)	31/03/2016 तक मान्यता।
20	शल्य ज्वाईंट केयर सेंटर भोपाल	टोटल हिप/नी, एल्बो, सोल्डर रिप्लेसमेंट	31/03/2016 तक मान्यता।
21	नर्मदा अपना अस्पताल होशंगाबाद	(टोटल हिप/नी रिपलेसमेंट, हेड इन्जरी, स्पाईनल सर्जरी, डायलेसिस)	31/03/2016 तक मान्यता।
22.	कन्वीनियन्ट हॉस्पिटल (सी.एच.एल. हॉस्पिटल) इन्दौर	(केंसर रोग 47 प्रकार)	31/03/2016 तक मान्यता।
23.	सी.एच.एल. हास्पिटल इंदौर	(हिप/नी रिप्लेसमेंट टोटल ऐल्बो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, टोटल शोल्डर ज्वाइंट, आंशिक हिप रिप्लेसमेंट)	31/03/2016 तक मान्यता।
	(23.2)सीएचएल हास्पिटल ए. बी. रोड़ एल.आई.जी. चौराहा इंदौर	(किडनी रोग एवं होमोडायलेसिस)	31/03/2016 तक मान्यता।
	(23.3) सीएचएल हास्पिटल ए. बी. रोड एल. आई. जी. चौराहा इंदौर	(हृदय रोग हेतु)	31/03/2016 तक मान्यता।
	(23.4) सी.एच.एल. हॉस्पिटल, इन्दौर	(हृदय रोग हेतु)	31/03/2016 तक मान्यता।
24.	बाम्बे हास्पिटल रिसर्च सेन्टर इंदौर	(किडनी ट्रांसप्लान्ट एवं न्यूरोसर्जरी)	31/03/2016 तक मान्यता।
25.	ग्रेटर कैलाश हास्पिटल ओल्ड पलासिया इंदौर	(स्पाईन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी)	31/03/2016 तक मान्यता।
	(25.2) ग्रेटर कैलाश हास्पिटल ओल्ड पलासिया इंदौर	(हृदय रोग, टीएमटी, इको कलर डापलर हेतु)	31/03/2016 तक मान्यता।
	(25.3) ग्रेटर कैलाश हास्पिटल ओल्ड पलासिया इंदौर	किडनी ट्रांसप्लान्ट	31/03/2016 तक मान्यता।
26.	सिनर्जी हास्पिटल स्कीम नं. 74 सेक्टर बी, विजयनगर इंदौर	(हृदय रोग, टीएमटी, इको कलर डापलर)	31/03/2016 तक मान्यता।
	(26.2)सिनर्जी हास्पिटल स्कीम नं. 74 सेक्टर बी, विजयनगर इंदौर	(होमोडायलेसिस, किडनी ट्रांसप्लान्ट)	31/03/2016 तक मान्यता।

क्रं	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	मान्यता की अवधि
27.	टी. चौइथराम हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर कंचनबाग इन्दौर	(हृदय रोग, सिटी स्केन, कलर डापलर, किडनी प्रत्यारोपण)	31/03/2016 तक मान्यता।
	(25.2) टी. चौइथराम हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर कंचनबाग इन्दौर	(रेडियेशन थेरेपी, बर्चथेरेपी)	31/03/2016 तक मान्यता।
28.	भण्डारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, मेघदूत गार्डन, इन्दौर	हृदय रोग, हीमोडायलेसिस, नेत्र रोग, न्यूरो सर्जरी, हेड इन्जयूरी, हिप/नी रिप्लेसमेंट, सिटी स्केन, एमआरआई, टीएमटी	31/03/2016 तक मान्यता।
29	मेदांता हास्पिटल विजयनगर इंदौर	(हृदय रोग, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, न्यूरो सर्जरी, हेड इन्जयूरी, टीएमटी,ईसीजी)	31 मार्च 2016 तक मान्यता।
30	राजस आई एण्ड रेटीना सेंटर, कंचनबाग इंदौर	1- perimetry 2- A Scan 3- B Scan 4- Indian iol phaco (nonfodable) 5- squint surgery 6- ptosis surgery	31 मार्च 2016 तक मान्यता।
31	नेशनल हास्पिटल जबलपुर	(हिप/नी रिप्लेसमेंट)	31 मार्च 2016 तक मान्यता।
	(31.2) नेशनल हास्पिटल जबलपुर	हृदय रोग, न्यूरो सर्जरी, स्पाईन सर्जरी, हेड इन्जयूरी, होमोडायलेसिस	31 मार्च 2016 तक मान्यता।
32	मेट्रो हास्पिटल एण्ड केंसर रिसर्च सेंटर दमोह नाका जबलपुर	(हृदय रोग हेतु)	उक्त अस्पताल द्वारा दिनांक 17/02/2015 को एन.ए.बी. एच. की अधिमान्यता प्राप्त की गई है। आदेश जारी होने के दिनांक से अर्थात दिनांक 28/10/2014 से आगामी 3 वर्ष (28/10/2017)तक मान्यता।
	(32.2) मेट्रो हास्पिटल एण्ड केंसर रिसर्च सेंटर दमोह नाका जबलपुर	(केंसर रोग, न्यूरो सर्जरी, हिप/नी रिपलेसमेंट एवं डायलेसिस)	उक्त अस्पताल द्वारा दिनांक 17/02/2015 को एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता प्राप्त की गई है। अतः दिनांक 3/03/2015 से उक्त निजी चिकित्सालय को दिनांक से 3 वर्ष अर्थात दिनांक 3/03/2018 के लिए मान्यता दी गई।

क्र.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	मान्यता की अवधि
33	अनंत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राइट टाउन जबलपुर	(स्पाईन सर्जरी न्यूरो सर्जरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट)	31/03/2016 तक मान्यता।
34	बाम्बे हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, जबलपुर	(स्पाईन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी)	31/03/2016 तक मान्यता।
35	दुबे सर्जिकल एण्ड डेंटल हास्पिटल, घमापुर चौक जबलपुर	(न्यूरो सर्जरी)	31/03/2016 तक मान्यता।
36	संजीवन अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र 628 राम नगर, आधारताल जबलपुर	(न्यूरो सर्जरी, टोटल हिप/नी एल्बो, शोल्डर रिप्लेसमेंट)	31/03/2016 तक मान्यता।
37	मोहनलाल हरगोंविददास पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट हास्पिटल भोपाल 440/1 राइट टाउन, जबलपुर	(न्यूरो सर्जरी)	31/03/2016 तक मान्यता।
38	एम.आर.आई. डाग्योनिस्टिक सेंटर 2243 राईट टाउन जबलपुर	(एम.आर.आई.)	31/03/2016 तक मान्यता।
39	पाण्डेय हास्पिटल प्रा.लि. 499 ब्योहार बाग जबलपुर	(न्यूरो सर्जरी, स्पाईन सर्जरी, हेड इन्जयूरी, हिप/नी रिप्लेसमेंट डायलेसिस)	31/03/2016 तक मान्यता।
40	सिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागरथ चौक, सिविल लाईन जबलपुर	हृदय रोग	31/03/2016 तक मान्यता।
	(40.2) सिटी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर नागराथ चौक जबलपुर	[illegible]	31/03/2016 तक मान्यता
41	जबलपुर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, रसल कांसिग जबलपुर	(हृदय रोग, हिप/नी रिप्लेसमेंट, होमोडायलेसिस)	31/03/2016 तक मान्यता।
42	सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास रिसर्च सेंटर, दीक्षितपुरा जबलपुर	(न्यूरो सर्जरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट एवं अन्य)	31/03/2016 तक मान्यता।
43	आशीष हास्पिटल जबलपुर	(हिप/नी/पारटीयल रिपलेसमेंट, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, डायलेसि एवं अन्य)	31/03/2016 तक मान्यता।

क्र.	चिकित्सालय का नाम	जांच/उपचार का नाम	मान्यता की अवधि
44	इन्फीनिटी हार्ट इंस्टीयूट नेपियर टाउन जबलपुर	(हृदय रोग,ईसीजी टीएमटी हेतु)	31 मार्च 2016 तक मान्यता।
45	आदित्य सुपर स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर, नेपियर टाउन जबलपुर	न्यूरो सर्जरी, स्पाईन सर्जरी, हेड इन्जूरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, होमोडायलेसिस	31 मार्च 2016 तक मान्यता।
46	एस.एम. जे. ट्रस्ट शैल्बी हॉस्पिटल अहिंसा चौक कचनार सिटी रोड विजयनगर जबलपुर	होमोडायलेसिस, न्यूरो सर्जरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट	31 मार्च 2016 तक मान्यता।
47.	बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर ग्वालियर **(माननीय न्यायाधिपतियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु)**	F 9-4/2010/17/मेडि.–3 दिनांक 17/01/2010	आगामी आदेश तक प्रभावशील
48	**बी.आई.एम.आर. हास्पिटल्स** ग्वालियर	(हृदय रोग, [illegible] कलर डाफ्लर, टीएमटी)	31/03/2016 तक मान्यता।
49.	एम0पी0 बिरला हॉस्पिटल एण्ड प्रियम्बदा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट सतन	केंसर रोग–47, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट, कलर डापलर, टी. एम.टी., इकोकार्डियोग्राफी, डायलिसिस, [illegible] शल्य किया, फेको एमुलसिफेशन विथ बायोफोकल आई.ओ.एल. सिटी स्केन, सिटी स्केन अदर बाडी पार्टस	शासन के आदेश दिनांक 13/01/2016 के अनुसार 31/03/2016 तक मान्यता।
50.	केंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर	(केंसर रोग– 47)	31/03/2016 तक मान्यता।
51.	पाढ़र हास्पिटल बैतुल	(केंसर रोग, हिप/नी रिप्लेसमेंट एवं सिटी स्केन, हेड इन्जयूरी, नेत्र रोग एवं अन्य)	31/03/2016 तक मान्यता।

उपसंचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश